उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-13/2017/40/92-1-17-78(अधि0)/2016,
लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी: 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

तात्कालिक प्रभाव से श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-वाराणसी/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को शासकीय कार्यहित/जनहित में नितान्त कामचलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत उन्हें उनके मूल पद के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों अथवा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल (मिर्जापुर) के रिक्त पद पर अधीक्षण अभियंता की नियमित तैनाती होने तक के लिए, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल (मिर्जापुर) के पद के कार्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधीक्षण अभियंता के रूप में उक्त अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिए श्री श्रीवास्तव को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- अधीक्षण अभियंता पद के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था, शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त की जा सकती है।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

**संख्या-13/2017/40(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- सम्बन्धित प्रभारी अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-वाराणसी/प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( राम रतन )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in